पत्र संख्या : 7ब/4702 यो०ज०सं०–03/2013 183

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, रॉची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक : 20-1-14

विषय :– मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–28–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए॰आई॰बी॰पी॰),विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड–50P470200796280545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूॅजीगत् परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1.	50–लघु सिंचाई विभाग /4702–लघु सिंचाई पर पूॅजीगत् परिव्यय	796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 28–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए॰आई॰बी॰पी॰)	05–निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य/ 50P470200796280545	**0.00**

अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ शून्य मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष 2013–14 के बजट उपबंध **₹ 800.00 लाख (₹ आठ करोड़)** मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यो के अनुरूप किया जायेगा।

5. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुबोध कुमार सिन्हा)
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव (अभि॰)

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ हीं तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु० :– यथोक्त

17/1/14

(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 183 राँची, दिनांक :– 20-1-14

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड पो० – **हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/गुमला** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त

17/1/14

(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 183 राँची, दिनांक :– 20-1-14

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) राँची/अभियंता प्रमुख –**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त

(ओंकार नाथ) सहायक अभियंता	(मुक्ति साधन चौरसिया) उप सचिव (अभि०)	(सुबोध कुमार सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि०)	17/1/14 **(अविनाश कुमार)** **सचिव**

पत्रांक – 183 / राँची, दिनांक – 20-1-14 परिशिष्ट – 1

मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उपशीर्ष–28–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए०आई०बी०पी०)
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य,
विपत्र कोड–50P470200796280545
बजट उपबंध (वर्ष 2013–14) रू० 800.00 लाख

(लाख ₹ में)

क्र.	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता / जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013–14 में आवंटन			अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण, प्रमंडल, राँची।	लघु सिंचाई राँची	राँची	झारवाटर के लिए Water User Association क Training & Capacity Building एवं Facilitation Cost to NGO's	28/22.08.13	270.800	0.00	106.00	-106.00	0.00	
						योग	**0.00**	**106.00**	**-106.00**	**0.00**	
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला।	गुमला	रायडीह	लूँगा नाला में श्रृ० चेकडैम	47/07.03.11	184.340	147.640	0.00	106.00	106.00	**Phase-IV**
			पालकोट	तोरपा नदी में श्रृ० चेकडैम	47/07.03.11	143.150	120.470				
			गुमला	नेम्हा नाला में श्रृ० चेकडैम	47/07.03.11	188.499	59.460				
			सिसई	सिघाटोली नाला में श्रृ० चेकडैम	47/07.03.11	152.030	75.010				
			सिसई	बधनी नाला में श्रृ० चेकडैम	47/07.03.11	171.170	50.300				
			भरनो	चेंगरी नाला में श्रृ० चेकडैम	47/07.03.11	243.550	204.090				
			घाघरा	गोमर नाला में श्रृ० चेकडैम	47/07.03.11	110.950	66.050				
			घाघरा	घघरी नाला में श्रृ० चेकडैम	47/07.03.11	96.130	60.770				
			घाघरा	बँसारी नाला में श्रृ० चेकडैम	47/07.03.11	197.860	1.630				
			डुमरी	जुरमू नाला में श्रृ० चेकडैम	47/07.03.11	227.100	76.590				
			चैनपुर	खोरहा नाला में श्रृ० चेकडैम	47/07.03.11	187.220	163.090				
			चैनपुर	सपही नाला पर श्रृ० चेकडैम	47/07.03.11	182.720	35.010				
			विशुनपुर	घाघरा नाला में श्रृ० चेकडैम	47/07.03.11	192.180	156.800				
			घाघरा	टाटाम्बी नाला पर चेकडैम	47/07.03.11	30.623	7.560				
			घाघरा	देबांकी नदी पर चेकडैम	47/07.03.11	74.184	60.600				
			बसिया	बरय नाला पर चेकडैम	47/07.03.11	23.947	14.660				
			बसिया	सुरजपुर नाला पर चेकडैम	47/07.03.11	27.467	21.710				
			डुमरी	कटिम्बा नाला पर चेकडैम	47/07.03.11	30.230	23.470				
			चैनपुर	केडंग नाला पर चेकडैम	47/07.03.11	30.050	22.580				
			पालकोट	देवगाँवा नाला में चेकडैम	47/07.03.11	35.540	24.480				
			पालकोट	तपकरा नाला पर चेकडैम निर्माण	47/07.03.11	35.280	24.960				
							योग	**0.00**	**106.00**	**106.00**	
							कुल योग	**106.00**	**0.00**	**106.00**	
अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ शून्य मात्र।											

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	(अविनाश कुमार)
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि०)	संयुक्त सचिव (अभि०)	सचिव